

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./1440 /2018/ 676

दिनांक : 28/12/18

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/लै.टे.(584)/2015/635 दिनांक 06.10.15 एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/लै.टे/सीधी भर्ती/2015/649 दिनांक 09.10.15 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। जिन्होंने लैब टेक्नीशियन के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है इनका कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 06 में उल्लेखित दिनांक से नियमित करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 08 में दर्शायी गयी तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी.(रूल्स)/ 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में लैब टेक्नीशियन पद की पै मैट्रिक्स एल 8 में न्यूनतम वेतन रुपये 26300 एवं अन्य भत्ते नियमानुसार दिया जाना प्रस्तावित है:-

क. स.	पदस्थापन सूची के क्र0 दि0	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	कार्य ग्रहण तिथि	परिवीक्षा पूर्ण करने की तिथि	2 वर्ष पश्चात परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आदे0 क्र0 635 दिनांक 06.10.15 के क्रम संख्या-1	श्री राजेश कुमार नागर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धमोतर (प्रतापगढ)	26.01.1983	03.11.2015	24.12.2017	25.12.2017 EOL (52 Days)
2.	आदे0 649 दिनांक 09.08.15 के क्रम संख्या-13	श्री उसमान खान	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गागरडू दूदू (जयपुर)	20.08.1989	15.10.2015	14.10.2017	15.10.2017
3.	आदे0 649 दिनांक 09.08.15 के क्रम संख्या-122	श्री मुकेश जांगिड	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सिरोही	01.07.1991	14.10.2015	05.11.2017	06.11.2017 EOL (23 Days)

( राकेश शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./1440 /2018/ 676

दिनांक : 28/12/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय/प्रतापगढ।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सिरोही।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धमोतर (प्रतापगढ)।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गागरडू दूदू, जयपुर (द्वितीय)।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
6. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर